/98564/2023

ई0 पत्रावली संख्या–47388/2023

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक** 13 **फरवरी, 2023**

विषय : वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्वलेखा के अनुदान सं0–30 राज्य सैक्टर अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) (लघु निर्माण कार्य) बाढ़ कार्यों हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–619/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1 (पुर्नविनियोग), दिनांक 21.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्वलेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या–30 के मुख्य लेखाशीर्षक–2711–01–103–03–00–52 (लघु निर्माण मद) में राज्य सैक्टर अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) (लघु निर्माण कार्य) बाढ़ कार्यों हेतु चालू/निर्माणाधीन योजनाओं हेतु बजट की नितान्त आवश्यकता के मध्यनजर पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचतों से पुर्नविनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
(iii) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
(iv) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(v) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
(vi) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
(vii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
(viii) धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुरितका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
(ix) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 एवं उससे सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के

/98564/2023

(x) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

(xi) अवमुक्त की गयी धनराशि का पूर्ण उपयोग विलम्बतम् दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जाये, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।

(xii) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत संलग्न बी0एम0–9 के कालम–05 के नामे डाला जायेगा तथा बी0एम0–9 के कालम–01 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2711–01–103–03–00–52 लघु निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित क्रमांक–97299/2023, दिनांक 07.02.2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न– बी0एम–9 (पुनर्विनियोग प्रपत्र)

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 10-02-2023 18:54:33

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–47388/2023, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-02-2023 11:23:11

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।